UPEW010015942026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या– 1, इटावा।

उपस्थित : अखिलेश कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code :UP6281

प्रथम प्रतिभू प्रार्थनापत्र संख्या–487/2026

पंकज कुमार, उम्र 28 वर्ष, पुत्र शिवनाथ सिंह, निवासी–ग्राम सन्तोषपुर घाट, थाना–बसरेहर, जनपद इटावा।

...........आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य

...........अभियोजन।

मुकदमा अपराध सं.–05/2026
धारा–3(5),109(1) बी.एन.एस.
थाना–बसरेहर, जिला इटावा।

1. आवेदक/अभियुक्त पंकज कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं.–05/2026, धारा–3(5),109(1) बी.एन.एस., थाना–बसरेहर, जिला इटावा के मामले मे उसे प्रतिभू पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रथम ज़मानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ शिवनाथ सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम ज़मानत प्रार्थना पत्र है। उक्त प्रार्थना पत्र के अलावा कोई भी प्रतिभू प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही खारिज हुआ है।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस मुकदमे में झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। दर्शित घटना में कोई भी स्वतंत्र साक्षी तथा पब्लिक का गवाह नही है। आरोपित अपराध की अभियोजन कहानी अस्वभाविकता से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय एवं स्वाभाविक नही है। आवेदक को जिस स्थान और समय पर अभियोजन की ओर से गिरफ्तार किया जाना बताया जा रहा है वह असत्य है। गिरफ्तारी की झूठी कहानी रचकर आरोपित अपराध में चालान कर दिया। अपराध सं०–4/2026 पर पंजीकृत मामले में आवेदक का जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 27.02.2026 को स्वीकृत हुआ है। सह अभियुक्त अतुल कुमार उर्फ जीतू का प्रतिभू आवेदन इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत हो चुका है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। आवेदक जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है ।

4. संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष सौरभ सिंह, दिनांक 13.01.2026 को मय अन्य पुलिस हमराहियान थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 8 समय 02.49 बजे वास्ते ग्राम संतोषपुर घाट के पास में घटित घटना की जाँच

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.03.13 16:48:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थानाक्षेत्र में गश्त व विवेचना मुकदमा चैकिंग को रवाना होकर पत्तापुरा नहर पुल पर मौजूद थे, तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि कल शाम को संतोषपुर घाट रोड पर चम्पानेर तिराहे पर जो मर्डर हुआ है, घटना कारित करने वाले दोनों व्यक्ति लाल काले रंग की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं भागने की फिराक में भदामई पुल की ओर आ रहे है। सूचना पर हम पुलिसवालों द्वारा आपस में मय मुखबिर के एक–दूसरे की जामातलाशी ले देकर बताये हुए स्थान पर पहुंचे। मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि वह दोनों वही व्यक्ति है, जो मैंने बताया है। तब हम पुलिसवालों ने बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को रुकने को कहा, पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने आप को घिरता देख हम पुलिसवालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे हम पुलिसवाले बाल–बाल बच गये। सड़क टूटी हुई होने के कारण मोटरसाइकिल अनियन्त्रित होकर फिसल कर सड़क पर ही गिर गयी और दोनों व्यक्ति खेतों की तरफ झाड़ियों में घुस गये, एक व्यक्ति ने झाड़ियों से दुबारा हम पुलिसवालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और दूसरा व्यक्ति खेतों की तरफ भागने लगा। दूसरे व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा गया, जिसकी जामातलाशी ली उसके कब्जे से पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद एन्ड्राएड मोबाइल फोन वीवो कंपनी का नीले रंग का जिसमें 90561XXXXX नंबर की सिम पड़ी है तथा पैंट की दाहिनी जेब से 200 रूपये नगद बरामद हुए। पकड़े गये व्यक्ति व सह–अभियुक्त को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए समय 07.40 बजे हिरासत लिया गया। दौरान गिरफ्तारी जनता के आने–जाने वाले लोगों से गवाही हेतु कहा गया तो जनता का कोई भी व्यक्ति भलाई–बुराई के कारण गवाही हेतु तैयार नही हुआ। दौराने कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों–निर्देशों का पालन किया व कराया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क किये गये कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है ।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दण्ड द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे पुलिस पार्टी बाल–बाल बच गयी। अभियुक्त के कब्जे से पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद एन्ड्राएड मोबाइल फोन वीवो कंपनी का नीले रंग का जिसमें 90561XXXXX नंबर की सिम पड़ी है तथा पैंट की दाहिनी जेब से 200 रूपये नगद बरामद हुए। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधारो पर अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की गई है।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त को अन्य सह–अभियुक्त के साथ पुलिसपार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना बताया गया है। अभियुक्त पंकज को भागते हुए पकड़ना बताया गया है। उससे एक अदद एन्ड्राएड मोबाइल फोन वीवो कंपनी का नीले रंग का जिसमें सिम पड़ी है तथा पैंट की दाहिनी जेब से 200 रूपये की बरामदगी दर्शित की गयी है,लेकिन उसके कब्जे से कोई तंमचा कारतूस बरामद होना नहीं बताया गया है। किसी पुलिस पार्टी के सदस्य को फायर आर्म इंजरी या अन्य प्रकार की चोट आना नहीं बताया गया है। सह–अभियुक्त अतुल, जिसे मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से कारतूस तमंचे की बरामदगी दर्शित की गयी है। उसके पैर में गोली लगना बताया गया है। उसकी जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 13.01.2026 से जेल में निरुद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर, उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान

किये जाने का न्यायोचित एवं पर्याप्त आधार पाया जाता है, तदनुसार उक्त प्रश्नगत आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **पंकज कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध सं.–05/2026 धारा–3(5),109(1) बी.एन.एस., थाना–बसरेहर, जिला इटावा के मामले मे प्रस्तुत प्रथम ज़मानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन सशर्त स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से मुबलिग 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए–

1. अभियुक्त, निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा,
2. अभियुक्त, उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा; और
3. अभियुक्त, मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह ज़मानत आदेश की प्रति केन्द्रीय कारागार इटावा को ज़रिए ई–मेल प्रेषित करें।

दिनांक–13.03.2026

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1, इटावा।
J.O. Code :UP6281